

भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली 1975 (1980 तक यथा संशोधित)
सम्पूर्ण शक्तियों का प्रत्यायोजन

1. (अ) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58(2) के साथ पठित धारा 28 के अनुसार कोई भी व्यक्ति भारत सरकार द्वारा जारी करेंसी नोटों या बैंकनोटों में से किसी गुम हो चुके, चोरी हो गये, विकृत या अपूर्ण करेंसी नोट का मूल्य भारत सरकार अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक से अधिकार के तौर पर वसूल करने का पात्र नहीं है। तथापि, वास्तविक मामलों में जनता को कठिनाई से बचाने के प्रयोजन से यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से भारतीय रिज़र्व बैंक उन परिस्थितियों तथा उन शर्तों और परिसीमाओं का निर्धारण कर सकता है, जिनके अनुसार ऐसे करेंसी नोटों या बैंक नोटों का मूल्य एक अनुग्रह के रूप में दिया जा सके।

1. (ब) जनता के लाभ और हित की दृष्टि से यह सुविधा प्रदान करने हेतु रिज़र्व बैंक ने मुद्रा तिजोरी वाली सभी शाखाओं को प्राधिकृत किया है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली 1975 (1980 तक यथा संशोधित) के अनुसार कटे-फटे /गंदे /विकृत नोटों का अधिनिर्णयन करें।

कटे नोटों की सरल परिभाषा

2. निम्नलिखित प्रकार के गंदे और कटे-फटे नोटों को मुक्त रूप से सभी बैंक शाखाओं द्वारा बदला जाए ताकि नोट बदलने की सुविधा प्रदान करने में तेजी आ सके। सरकारी देनदारी चुकता करने के लिए या बैंक के काउन्टरों पर अपने खातों में जमा करने के लिए जनता द्वारा प्रस्तुत किए जाने के पर भी ये नोट स्वीकार किए जाएं।

गंदे नोट

I. एकल नंबर वाले नोट - 1 रुपया, 2 रुपये और 5 रुपये

प्रस्तुत किए गए नोट के दो से अधिक टुकड़े न हों। नोट की कोई अनिवार्य विशेषता गायब न हो और नोट के नंबरों के सभी अंक अखण्डित रूप से किसी भी एक टुकड़े पर मौजूद हों।

II. दोहरे नंबर वाले नोट - 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये और 1000 रुपये

प्रस्तुत किए गए नोट के दो से अधिक टुकड़े न हों। नोट की कोई अनिवार्य विशेषता गायब न हो और नोट के दोनों टुकड़े एक ही नोट के हों अर्थात् प्रत्येक टुकड़े के अखंडित भाग पर सम्पूर्ण नम्बर उपलब्ध हो।

उपयुक्त प्रकार के नोटों को गंदे नोटों के रूप में माना जायेगा और इन्हें गंदे नोटों के साथ रखा जाए। इस प्रकार के चलन में न लाने योग्य नोटों को किसी भी हाल में पुनः जारी करने योग्य नोटों के रूप में जनता को फिर से जारी न किया जाए बल्कि इन्हें करेंसी चेस्ट-प्रेषण के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालयों को भेजने हेतु मुद्रा तिजोरियों में जमा कर दिया जाए।

3. 'विरूपित नोट' का अभिप्राय ऐसे नोट से है जिसका कि एक हिस्सा गायब हो या जिसे टुकड़ों को चिपकाकर पूरा नोट बनाया गया हो। 'विरूपित नोट' या तो भारतीय रिजर्व बैंक के निर्गम कार्यालयों में या फिर कामर्शियल बैंकों की नामित शाखाओं में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। 'विरूपित नोट' भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली 1975 (1980 तक यथा संशोधित) में उल्लिखित नियमों के अनुसार पारित किए जा सकते हैं जो कि भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध हैं।

अत्यधिक खस्ताहाल, जले, टुकड़े-टुकड़े चिपके हुए नोट.

4. ऐसे नोट जो बहुत ही खस्ताहाल हों या बुरी तरह से जल गए हों, टुकड़े - टुकड़े हो गए हों अथवा आपस में बुरी तरह से चिपक गए हों, और इस वजह से वे अब सामान्यतया उठाने-रखने लायक न रह गए हों तो बैंक शाखाएँ ऐसे नोटों को बदलने के लिए न लें। ऐसे नोटों को बदलने के लिए लेने के बजाए धारक से कहा जाये कि वह इन नोटों को रिजर्व बैंक के संबंधित निर्गम कार्यालय में प्रस्तुत करे, जहाँ इन पर विशेष प्रक्रिया के अंतर्गत अधिनिर्णयन किया जाएगा।

'भुगतान करें/भुगतान किया/निरस्त' की मुहरें लगे नोट

5. प्रत्येक शाखाका प्रभारी अधिकारी अर्थात् शाखा प्रबंधक और प्रत्येक शाखा की लेखा अथवा नकदी विंग के प्रभारी अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली 1975 (1980 तक यथा संशोधित) के अनुसार बदलने के लिए शाखा में प्राप्त नोटों का अधिनिर्णयन करने के लिए 'निर्धारित

अधिकारी' के रूप में कार्य करेंगे । कटे-फटे नोटों के अधिनिर्णयन करने के बाद निर्धारित अधिकारी के लिए यह आवश्यक है वह नोटों पर दिनांक वाली मुहर लगाकर अपने आद्यक्षर करते हुए "भुगतान करें"/ "भुगतान किया"/"निरस्त" का आदेश रिकॉर्ड करें । "भुगतान करें"/"निरस्त" आदेश वाली मुहरों पर बैंक और संबंधित शाखा का नाम भी होना चाहिए। ऐसे कटे-फटे नोट जिन पर भारतीय रिजर्व बैंक के किसी भी निर्गम कार्यालय अथवा किसी बैंक शाखा की "भुगतान करें"/"भुगतान किया"/या "निरस्त" की मुहर लगी हो तो ऐसे नोटों को दुबारा किसी भी बैंक शाखा में भुगतान के लिए प्रस्तुत किए जाने पर, भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली 1975 (1980 तक यथा संशोधित)के नियम 5(1) के अंतर्गत भुगतान करने से मना कर दिया जाए और प्रस्तुतकर्ता को सूचित कर दिया जाए कि ऐसे विकृत नोट (नोटों) का मूल्य नहीं दिया जा सकता क्योंकि इनका मूल्य पहले ही दिया जा चुका है, और भुगतान के प्रमाण-स्वरूप इन/इस पर "भुगतान करें"/"भुगतान किया" की मुहरें लगी हुई हैं। सभी बैंक शाखाओं को यह हिदायत दी गई है कि वे "भुगतान करें"/"भुगतान किया" की मुहर लगे नोटों को जनता में दुबारा भूल से भी न जाने दें। शाखाएं वे अपने ग्राहकों को सावधान कर दें कि वे किसी भी अन्य बैंक या व्यक्ति से ऐसे नोट न लें ।

राजनैतिक नारा या संदेश आदि लिखे हुए नोट

6. यदि किसी नोट पर कोई नारा या राजनैतिक नारा या संदेश लिखा हो तो यह विधिमान्य मुद्रा नहीं रह जाती और भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली 1975 (1980 तक यथा संशोधित) के नियम 5(2) के अंतर्गत ऐसे नोटों को निरस्त कर दिया जाएगा । इसी प्रकार विरूपित किए गए नोट भी भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली 1975 (1980 तक यथा संशोधित) के नियम 5 (2) के अंतर्गत निरस्त कर दिए जाए ।

जानबूझकर काटे गए नोट

7. यदि जानबूझकर काटे गए अथवा बेईमानी से फेर- बदल किये नोटों को विनिमय मूल्य पाने के लिये प्रस्तुत किया जाता है तो उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली 1975 (1980 तक यथा संशोधित) के नियम 5(2)(ii) के अंतर्गत निरस्त कर दिया जाएगा । यद्यपि जानबूझकर काटे/विरूपित नोटों की कोई ठीक-ठीक परिभाषा निर्धारित करना संभव नहीं है, तथापि ऐसे नोटों को ध्यान से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कार्य जानबूझकर धोखा देने के उद्देश्य से किया गया है। क्यों कि ऐसे नोटों

को जिस प्रकार से काटा/विरूपित किया जाता है उसमें नोटों के आकार/गायब हुए टुकड़ों में एकरूपता देखने को मिलती है अर्थात् ये नोट किसी खास जगह पर ही विकृत होते हैं, खासकर जब यह बड़ी मात्रा में प्रस्तुत किये जाते हैं। ऐसे मामलों में प्रस्तुतकर्ता का नाम, प्रस्तुत किए गए नोटों की संख्या और मूल्यवर्ग आदि विवरण, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्गम विभाग के उप महाप्रबंधक /महाप्रबंधक, जिनके अधिकार क्षेत्र में शाखा आती है, को भिजवा दिये जायें। बड़ी मात्रा में ऐसे नोट प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को भी दे दी जाये। शाखाओं को यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि नोट बदलने की यह सुविधा कहीं निजी मुद्रा परिवर्तकों/दोषपूर्ण नोटों के व्यवसायियों तक ही सीमित न रह जाए।

प्रशिक्षण

8. हमारे निर्गम कार्यालयों को निर्देश दिये गए हैं कि वे मुद्रा तिजोरीवाली शाखाओं के "निर्धारित अधिकारियों" के लिए प्राथमिकता के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रशिक्षण के लिए केवल उन्ही अधिकारियों को नामित किया जाए जिन्हें "निर्धारित अधिकारी" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। चूँकि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य दोषपूर्ण नोटों के अधिनिर्णयन की प्रक्रिया की में निर्धारित अधिकारियों को जानकारी देना तथा उनमें आत्मविश्वास पैदा करना है, अतः यह अनिवार्य है कि संबंधित शाखाओं के निर्धारित अधिकारी इन कार्यक्रमों में अवश्य हिस्सा लें।

नोटिस बोर्ड लगाना

9. सभी निर्दिष्ट बैंक शाखाओं से अपेक्षित है कि वे अपनी शाखाओं में आसानी से दिखाई देने वाले स्थानों पर इस आशय का नोटिस बोर्ड लगाएं कि वहाँ पर नोट विनिमय सुविधा उपलब्ध है। बोर्ड पर लिखा होना चाहिए कि "**यहाँ पर दोषपूर्ण नोट बदले जाते हैं**"। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी सभी निर्दिष्ट शाखाएँ नोट विनिमय का कार्य करती हैं।

1000 रुपये के मूल्यवर्ग के बैंक नोट

10. एक हजार रुपये के बैंक नोट के चलन में आने के बाद से नोट वापसी नियमावली में जहाँ भी "पाँच सौ रुपये" शब्द लिखे हों उनके स्थान पर "एक हजार रुपये" कर दिया गया है और 500 के अंक के बाद 1000 का अंक बढ़ा दिया गया है। इस अनुदेश का प्रभाव यह होगा कि 500 रुपये तक के दोहरे नंबर वाले नोटों को बदलने हेतु जो नियम लागू होते थे वही अब 1000 रुपये के नोटों पर भी लागू होंगे। इस प्रकार भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली 1975 (1980 तक यथा संशोधित) के अंतर्गत 1000 रु. मूल्यवर्ग के नोटों का भी अधिनिर्णय उसी प्रकार किया जायेगा, जिस प्रकार 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये और 500 रुपये के नोटों का किया जाता है।

मुद्रा तिजोरियों में अधिनिर्णीत नोटों का निपटान

11. भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्गम कार्यालयों के क्षेत्राधिकार में आने वाली मुद्रा तिजोरियों में अधिनिर्णीत नोटों की लेखापरीक्षा हेतु, पूर्ण मूल्य प्रदत्त नोट, मुद्रा तिजोरियों द्वारा गंदे नोटों के अगले प्रेषण के साथ पूर्व - निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार निर्गम कार्यालय को भेज दिये जाने हैं। आधा मूल्य भुगतान किए गए तथा निरस्त नोट जो कि मुद्रा तिजोरी वाली शाखा के अपने नकदी शेष में रखे हैं, जब भी आवश्यक या तो पूर्ण मूल्य प्रदत्त नोटों के प्रेषण के साथ अलग से पैकिंग करके या फिर पंजीकृत एवं बीमाकृत डाक द्वारा भेज दिये जायें। पूर्ण मूल्य प्रदत्त नोटों को निर्गम कार्यालय द्वारा तिजोरी-प्रेषण माना जायेगा जबकि आधा मूल्य प्रदत्त तथा निरस्त नोट, अधिनिर्णयन हेतु प्रस्तुत किए गये माने जायेंगे तथा तदनुसार उनका प्रसंस्करण किया जायेगा।

बैंक शाखाओं में नोट / सिक्कों के विनिमय की सुविधा

12(अ) पूरे देश में मुद्रा तिजोरी वाली सभी बैंक शाखाओं से अपेक्षित है कि वे जनसाधारण को निम्नलिखित ग्राहक सेवाएं अधिक तत्परता और कारगर ढंग से प्रदान करें ताकि उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में केवल निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु न आना पड़े।

- I. नए / अच्छी हालत के सभी मूल्यवर्ग के नोटों तथा सिक्कों के लिए।
- II. गंदे नोट बदलने के लिए और।
- III. लेनदेन अथवा बदलने के लिए नोट व सिक्के लेने के लिए।

12(ब) सभी नामित बैंक शाखाएं क्षतिग्रस्त/विकृत नोट बदलने की विनिमय-सुविधा प्रदान करें। विनिमय-सुविधा प्रदान करने वाली ऐसी बैंक शाखाओं के नाम, उनके पते भारतीय रिजर्व बैंक अथवा संबंधित बैंकों के पास उपलब्ध हैं। जनसाधारण को यह जानकारी देने के उद्देश्य से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये कि इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(स) कोई भी बैंक शाखा/स्टाफ काउन्टरों पर प्रस्तुत किए गए छोटे मूल्यवर्ग के नोट/सिक्के लेने से मना न करे।

भारतीय रिजर्व बैंक और वाणिज्य बैंकों के बीच करार

13(अ) मुद्रा तिजोरियां /और/अथवा लघु सिक्का डिपो खोलने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक और वाणिज्य बैंकों के बीच हुए करार के अनुसार बैंक शाखाएं नोटों के बदले सिक्के स्वीकार करेंगी। अतः बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अपनी सभी शाखाओं को निम्नलिखित अनुदेश जारी करें: -

(I) वे जनसाधारण से बिना किसी बंदिश के सभी मूल्यवर्ग के सिक्के स्वीकार करें और उनके मूल्य का नोटों में भुगतान करें।

(II) सिक्कों की भारी मात्रा में प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए वे या तो उन्हें तौल कर लें या फिर सिक्के गिनने वाली मशीनों का प्रयोग करें।

(III) इस प्रकार प्राप्त रुपया सिक्के, तिजोरी-शेष और छोटे सिक्के, लघु सिक्का डिपो शेष के रूप में रखे जाएं।

(ब) बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपनी सभी शाखाओं को अनुदेश जारी करें कि वे अपनी शाखाओं में विनिमय हेतु अथवा अपने खाते में जमा करने हेतु प्रस्तुत किये गये सभी मूल्यवर्ग के सिक्के स्वीकार करें। ऐसे सिक्के, विशेष रूप से छोटे मूल्यवर्ग के सिक्कों को प्राथमिकता देते हुए, वजन करके लिए जायें। तथापि, चूंकि 100 सिक्कों की पॉलिथीन की थैली लेना कैशियरों के साथ साथ ग्राहकों के लिये भी ज्यादा सुविधाजनक है, अतः बैंक अपने काउन्टरों पर इस प्रकार की पॉलिथीन की थैलियाँ रखें और ग्राहकों को उपलब्ध करवायें। आम जनता की जानकारी के लिये बैंक परिसर के भीतर तथा बाहर उपयुक्त जगह पर इस आशय की नोटिस लगायी जाये। यह ध्यान रखते हुए कि एल्युमिनियम के 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, एल्युमिनियम-काँसे के 10 पैसे, स्टेनलेस स्टील के 10 पैसे, क्युप्रो- निकेल के 25 पैसे, 50 पैसे और

एक रुपये मूल्यवर्ग के सिक्के चलन से निकाल कर टकसालों को भेजे जा रहे हैं , अतः ग्राहकों से अनुरोध किया जाये, परंतु दबाव न डाला जाये, कि वे काउन्टर पर प्रस्तुत करते समय इन्हें मूल्य-वर्गवार और धातुवार अलग-अलग थैलियों में तथा 100 -100 सिक्कों की थैलियों में भरकर लायें । स्टेनलेस स्टील के 25 पैसे, 50 पैसे , और एक रुपये के एवं क्युप्रो-निकेल के दो रुपये और पाँच रुपये के प्रचलित सिक्कों के लिए भी यही प्रणाली अपनायी जाये । वजन में बहुत अधिक अंतर होने पर गिनने वाली मशीनों का प्रयोग किया जायें ।

(स) शाखाओं में सिक्कों को रखने की समस्या के निराकरण हेतु एलम्युनियम के 5 पैसे , 10 पैसे, 20 पैसे , एलम्युनियम -कांस्य के 10 पैसे के , स्टेनलेस स्टील के 10 पैसे और क्युप्रो - निकेल के 25 पैसे, 50 पैसे और एक रुपये सिक्के पूर्व सूचना देकर अपने बैंक की मुद्रा तिजोरी और लघु सिक्का डिपो वाली शाखाओं (अथवा अन्य बैंकों की संपर्क मुद्रा तिजोरी और लघु सिक्का डिपो वाली शाखाओं) के द्वारा प्रचलित कार्य-पध्दति के अनुसार भारत सरकार की हैदराबाद. कोलकाता तथा मुंबई स्थित टकसालों को भेज दिये जायें । स्टेनलेस स्टील के 25 पैसे, 50 पैसे और एक रुपये के सिक्के तथा क्युप्रो-निकेल के 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के वापिस चलन में डाल दिये जायें । यदि इन सिक्कों की मांग में कमी के कारण सिक्कों का स्टॉक मुद्रा तिजोरी और लघु सिक्का डिपो की क्षमता से अधिक हो जाए तो सर्किल के निर्गम कार्यालय से सिक्कों के प्रेषण हेतु संपर्क किया जाये ।

(द) बैंकों के क्षेत्रीय प्रबंधक /आंचलिक प्रबंधक, बैंक शाखाओं का आकस्मिक दौरा करें और इस संबंध में अपने प्रधान कार्यालय को अनुपालन की स्थिति से अवगत करायें जो कि इन रिपोर्ट्स की समीक्षा करेंगे तथा जहाँ जरूरी होगा , तत्परता से सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे ।

इस संबंध में किसी अनुदेश का अनुपालन करना भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों की अवहेलना/उल्लंघन माना जायेगा ।

मास्टर परिपत्र

विषय: भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली - शक्तियों का प्रत्यायोजन

मास्टर परिपत्र द्वारा समेकित परिपत्रों की सूची

क्रमांक	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय-वस्तु
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	जी-67/08.07.18/96-97	18.02.1997	भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली - निजी क्षेत्र की मुद्रा तिजोरी वाली बैंको को संपूर्ण शक्तियों का प्रत्यायोजन
2.	जी-52/08.07.18/96-97	11.01.1997	भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली - कटे-फटे नोटों को बदलने के लिये सरकारी क्षेत्र के बैंको को शक्तियों का प्रत्यायोजन - "अदा करें / अदा किया" मुहर लगे नोटों का प्रसंस्करण
3.	जी-24/08.01.01/96-97	03.12.1996	कटे-फटे नोटों को स्वीकार करना और बदलना - उदारीकरण
4.	जी-64/08.07.18/95-96	18.05.1996	भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली - सरकारी क्षेत्र के बैंको की शाखाओं को संपूर्ण शक्तियों का प्रत्यायोजन - प्रचार
5.	जी-83/सी एल-1 (पी एस बी) / 91-92	06.05.1992	भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली - सरकारी क्षेत्र के बैंको की मुद्रा 6.तिजोरी वाली शाखाओं को शक्तियों का प्रत्यायोजन
7.	जी-74/सी एल-(पीएसबी) (सामान्य) /90-91	05.06.1991	भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली - सरकारी क्षेत्र के बैंको को संपूर्ण शक्तियों का प्रत्यायोजन
8.	5.5/सी एल-1 (पी एस बी) / 90-91	25.09.1990	भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली - सरकारी क्षेत्र के बैंको को संपूर्ण शक्तियों का प्रत्यायोजन

(1)	(2)	(3)	(4)
9.	8/सी एल-1(पीएसबी)/ 90-91	17.08.1990	भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली - सरकारी क्षेत्र के बैंको को संपूर्ण शक्तियों का प्रत्यायोजन
10.	जी-123/सी एल-1 (पीएसबी)/ 89-90	07.05.1990	भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली - सरकारी क्षेत्र के बैंको को संपूर्ण शक्तियों का प्रत्यायोजन (संशोधन)
11.	जी-108/सी एल- (पीएसबी) (सामान्य) /89- 90	03.04.1990	भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली - रु. 500 मूल्य वर्ग का बैंकनोट - सरकारी क्षेत्र के बैंको की शाखाओं पर कटे-फटे नोटों का विनिमय
12.	जी-8/सी एल-1(पीएसबी) / 89-90	12.07.1989	भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली - भारतीय रिजर्व बैंक के निर्गम कार्यालयों के "To Claims" मुहर लगे कटे-फटे नोट
13.	जी-84/सी एल-1 (पीएसबी) / 88-89	17.03.1989	भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली - सरकारी क्षेत्र के बैंको को संपूर्ण शक्तियों का प्रत्यायोजन
14	जी-66/सी एल-1 (पीएसबी) / 88-89	09.02.1989	भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली - सरकारी क्षेत्र के बैंको को शक्तियों का प्रत्यायोजन - प्रशिक्षण
15	एस-12/सी एल-1 (पीएसबी) / 88-89	30.09.1988	भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली - जानबूझ कर काटे गये नोट - अधिनिर्णयन
16	जी-134/सी एल-1 (पीएसबी) / 87-88	25.05.1988	भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली के अंतर्गत संपूर्ण शक्तियों का प्रत्यायोजन
17.	192/सी एल-1(पीएसबी) / 86-87	02.06.1987	भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली - सरकारी क्षेत्र के बैंको को संपूर्ण शक्तियों का प्रत्यायोजन
18.	189/सीएल.2/86-87	02.06.1987	संदेश या नारे आदि लिखकर करेंसी नोटों को विकृत करना
19.	185/सीएल- 1(पीएसबी)/86-87	20.05.1987	भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली - कटे-फटे नोटों पर "अदा करें" और "निरस्त" मुहर लगाना

(1)	(2)	(3)	(4)
20.	173/सीएल-1/84-85	02.04.1985	सरकारी क्षेत्र के बैंको को कटे-फटे नोटों के विनिमय की शक्तियों का प्रत्यायोजन एवं कार्यपद्धति
21.	सीवाई सं. 1064/सीएल-1 / 76-77	09.08.1976	जनता को गंदे और कटे-फटे नोटों के विनिमय की सुविधा
22.	386/08.07.13 /2000-01	16.11.2000	भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली, 1975 - सरकारी एवं निजी क्षेत्र की मुद्रा तिजोरी वाली बैंको को नोट विनिमय की संपूर्ण शक्तियों का प्रत्यायोजन
23.	जी-11/08.07.18/2001-02	02.11.2001	भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली, 1975 - सरकारी एवं निजी क्षेत्र की मुद्रा तिजोरी वाली बैंको को नोट विनिमय की शक्तियों का प्रत्यायोजन
24.	मुप्रवि (RMMT) सं. 404/ 11.37.01/2003-04	09.10.2003	सिक्कों को स्वीकार करना एवं नोटों की उपलब्धता